



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4( ) परावि/पीसी/EU-SPP/2011/पार्ट फाईल 566 जयपुर, दिनांक : 30-3-15

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 70/2014-15)

यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधि Training at District and Block Level के तहत योजनान्तर्गत चयनित 11 जिलों यथा बाडमेर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सीकर के जनप्रतिनिधि/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने व एक्सपोजर विजिट एवं इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की ट्रेनिंग सेल के सशक्तिकरण इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के माध्यम से की जानी है।

उक्त गतिविधि Training at District and Block Level हेतु राशि रु. 10,00,000/- (अक्षरे राशि रूपये दस लाख मात्र) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को आनलाईन/ऑफलाईन भुगतान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

इस राशि के लिये निम्नांकित बजट शीर्ष के सम्मुख अंकित राशि की सीमा तक व्यय करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी के अधिकार मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 6.6.2014 तथा वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग के आदेश दिनांक 18.6.2014 द्वारा विभाग को प्रदत्त किये गये हैं। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार हैं :-

बजट मद

मार्ग संख्या - 30

2702 - लघु सिंचाई

01 - सतही जल

796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना

(01) - राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम

[01] - अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से

29 - प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (आयोजना)

राशि रूपये 10.00 लाख  
(अक्षरे राशि रूपये दस लाख मात्र)

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
3. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध हैं कि राशि का व्यय होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भिजवावें।
4. मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
5. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्तानुसार स्वीकृति में वर्णितानुसार राशि का आहरण कर इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के ओ.बी.सी. बैंक, बजाज नगर शाखा के खाता संख्या 10332010004870 के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही करावें।
7. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

अधिशापी अभियन्ता (टी.सी.)